भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 748
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

वारंगल के लिए स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

+748**. डॉ. कडियम काव्यः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वारंगल जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का योजनावार ब्यौरा क्या है,

(ख) स्वीकृत की गई, स्थापित की गई और प्रचालनशील की गई इकाइयों की संख्या कितनी है, साथ ही उनके लिए स्वीकृत की गई और जारी की गई वित्तीय सहायता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों से सृजित रोज़गार का ब्यौरा क्या है और वारंगल जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा कृषि उत्पादों में मूल्य-वर्धन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी प्रमुख योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दे रहा है

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वारंगल जिले में स्वीकृत, ऑपरेशनल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, परियोजना लागत और स्वीकृत सब्सिडी के साथ-साथ उत्पन्न रोज़गार का योजना-वार विवरण **अनुबंध** में है।

वारंगल जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता, क्षमता निर्माण, साझा अवसंरचना और ब्रांडिंग तथा विपणन सहायता के माध्यम से वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।

पीएमकेएसवाई केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना तैयार करना, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना, कृषि उपज में मूल्य वर्धन और किसानों की आय बढ़ाना है। पीएमकेएसवाई प्रकृति में मांग-आधारित है और वारंगल जिले सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती हैं। इसमें प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की जांच की जाती है और मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधियों की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

पीएलआईएसएफ़पीआई का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चालू है। हालांकि, तेलंगाना के वारंगल जिले में पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

मंत्रालय आधुनिक प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण और खेत से खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कृषि उपज में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है। ये अंतःक्षेप भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और अन्य कटाई के बाद की अवसंरचना के विकास की सहायता करते हैं, जिससे कृषि उपज की कटाई के बाद के नुकसान और बर्बादी को कम किया जा सके, प्रसंस्करण स्तर और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार किया जा सके, और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सके।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.07.2026 को "वारंगल के लिए स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ" के संबंध में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 748 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

योजनाएं	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	चालू परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	रोजगार सृजन
पीएमएफएमई	147	171*	18.91	4.15	549
पीएमकेएसवाई	1	0	40.85	5.00	1062
पीएलआईएसएफ़पीआई	0	0	0	0	0

***** पिछले 3 वर्षों से पहले स्वीकृत परियोजनाएं, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू हुई हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा गया है।